भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
*****

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 674

जिसका उत्तर मंगलवार, 08 फरवरी, 2022, माघ 19. 1943 (शक) को दिया जाना है

राज्य के राजस्व में योगदान

674. श्रीआनंद शर्मा:
श्री जी.सी.चंद्रशेखर :
श्री राजमणि पटेल:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए सरकार के वास्तविक राजस्व और राजस्व के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए राजस्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि और जीएसटी दरों में वृद्धि का क्या योगदान है;
(ग) क्या सरकार विभिन्न राज्यों की मांग के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को दो वर्ष से बढाकर पांच वर्ष करने पर पुन: विचार करने का इरादा रखती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) :

वित्तीय वर्ष	राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रु.में)	
	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2019-20	18,50,100.37	16,84,059.05
2020-21	15,55,153.17	16,33,920
2021-22*	20,78,936	17,33,223

स्रोत: प्राप्ति बज़ट 2020-21, 2021-22, 2022-23
* संशोधित अनुमान सम्पूर्ण वर्ष के लिए हैं तथा वास्तविकदिसम्बर, 2021 तक हैं।

(ख): वास्तविक राजस्व संग्रहण में ईंधन की कीमतों और जीएसटी दरों में उतार-चढाव का योगदान भी सम्मिलित है जैसा भाग-

(क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ): संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार संसद कानून द्वारा, माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर, माल और सेवा कर के लागू होने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

केन्द्र सरकार संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 5 वर्ष के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिबद्ध है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मामले पर लखनऊ में आयोजित जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में भी विस्तार से चर्चा की गई थी। उक्त बैठक में जीएसटी के तहत संसाधनों को बढाने के मामले पर भी विचार-विमर्श किया गया था। परिषद द्वारा निर्णय के परिणाम के अनुसार जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के मामले पर विचार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है।

****